XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व विविध वाद संख्या–87/10

बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी)

1. श्री प्रेम लाल हरिजन उर्फ श्री प्रभू लाल मांझी, पिता– स्व0 मोही लाल हरिजन (मांझी)
2. श्री मूसवा हरिजन, पिता– श्री प्रेम लाल हरिजन
3. श्री मुसाई हरिजन, पिता– स्व0 मोही लाल हरिजन
4. श्री भीमा मांझी, पिता– चन्दी मांझी
5. श्री उत्तम हरिजन, पिता– मेहतर हरिजन

सभी साकिन– कैरिया, थाना एवं अंचल– अमौर, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदकगण

बनाम

1. बिहार सरकार
2. श्री गूजन मंडल, पिता– स्व0 कदम लाल दास
3. श्रीमती चानो देवी, पति– श्री श्यामलाल विश्वास
4. श्रीमती उर्मिला देवी, पति– श्री सत्य नारायण विश्वास

सभी साकिन– कैरिया, थाना एवं अंचल– अमौर, जिला– पूर्णियाँ.....विपक्षीगण

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदकगण द्वारा अन्य जिला में रहने के कारण इस जिले में अवस्थित प्रश्नगत जमीन मौजा– कैरिया, थाना नं0–206, आर0 एस0 खाता नं0–287, खेसरा नं0–706, रकवा– 1.32.04 विपक्षीगण के साथ बिक्री करने हेतु बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत अनुमति के लिए दायर किया गया है।

इसमें आवेदकगण का कथन है कि वे ग्राम कुर्सेला (वेलवा टोला) थाना–महलगॉव, अचल–जोकीहाट, जिला–अररिया में रह रहा है। वहॉ आवेदकण को वासगीत पर्चा से भूमि प्राप्त है। दूर रहने के कारण जमीन का देख–रेख नहीं हो पा रहा है जिससे वे प्रश्नगत जमीन बिक्री करना चाहते हैं।

इस सबध में अंचल अधिकारी, अमौर के जॉच प्रतिवेदन की मॉग किया गया। अचल अधिकारी, अमौर ने अपने पत्रांक–611 दिनांक 25.09.10 के द्वारा प्रतिवेदन दिये है कि आवेदक के पिता के नाम से आर0 एस. खतियान में मौजा मजकुर (केरिया) थाना नं0–206 में खाता नं0–225 एवं 226, रकवा– 0.68 डिसमील जमीन जमावंदी पजी–11 मे दर्ज है। जिसका लगान खाता–225 का 1999–2000 तक तथा खाता–226 का वर्ष 2008–09 तक वसूल है। साथ ही खाता 287, खेसरा–706, रकवा– 2.24 एकड़ जमीन आवेदक के पिता मोही लाल हरिजन, पिता– रीतलाल हरिजन के नाम से बन्दोवस्ती वाद सं0–69/59–60 द्वारा प्राप्त है। बन्दोवस्त रैयत के मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान धनीलाल, प्रेम लाल, मुसाई उर्फ प्रभु लाल, पिता– स्व0 मोही लाल हरिजन दखलकार है। बन्दोवस्त रैयत के दो पुत्री भी थी जिसकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। प्रश्नगत जमीन बिक्री करने के उपरान्त आवेदकगण के पास 1.59 एकड़ जमीन शेष बच जाता है। अंचल अधिकारी द्वारा जमीन बिक्री करने हेतु अनुशंसा की गयी है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	विद्वान अंचल अधिकारी, अमौर के प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन के आलोक में आवेदक के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत जमीन ब्रिकी की अनुमति प्रदान की जाती है। इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ लेखापित एवं संशोधित । समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	